

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण संख्या 39/2019 वाद



रवि ओझा

// बनाम //

उदयलाल तेली व अन्य

दावा धारा 53,188 रा0का0अधि0

निर्णय

दिनांक 08.07.2019

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच राजीनामा हो गया है। इसलिए वादी अपने वाद को आगे नहीं चलाकर इसी स्टेज पर विद्वा कर खारिज कराना चाहते हैं। वादी का वाद विद्वा बाबत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद इसी स्टेज पर विद्वा कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

